पत्र संख्या-स्था-5(ख)-पदोन्नति-रा0क0अ0-2022-23// 1831 // राज्य कर

प्रेषक,

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग) **लखनऊ// दिनांक// 18 जुलाई, 2022**

विषयः- राज्य कर अधिकारी की प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2022-23 में घटित रिक्तियों पर पदोन्नति फारगो के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि विगत वर्षो की विभागीय प्रोन्नति कोटे की राज्य कर अधिकारी के पद की रिक्तियों को भरे जाने से पूर्व पात्र कार्मिकों से अग्रिम फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त किये गये है ताकि रिक्त पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से चयन कराकर भरा जा सके।

चयन वर्ष 2022-23 की विभागीय प्रोन्नति कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष भी निकट भविष्य में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की कार्यवाही करायी जानी है जिसमें सम्भावित रिक्तियों की प्राप्त सूचना के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों की दिनांक 09-11-2015 को जारी ज्येष्ठता सूची के अनुसार सामान्य श्रेणी के ज्येष्ठता क्रमांक-1600 तक के स्थायी कार्मिकों तथा दिव्यांगजन श्रेणी के ज्येष्ठता क्रमांक-2121B, 2200, 2222, 2259, 2314A तथा ज्यंष्ठता क्रमांक 2811 को पात्रता सूची में रखा जा सकता है।

अतः वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयन वर्ष 2022-23 के लिये प्रस्तावित चयन हेतु उपरोक्त ज्येष्ठता क्रमांक 1600 तथा दिव्यांगजन श्रेणी के ज्येष्ठता क्रमांक-2121B, 2200, 2222, 2259, 2314A तथा ज्यंष्ठता क्रमांक 2811 के कार्मिकों में से आपके जोन के अन्तर्गत कार्यरत यदि कोई कार्मिक राज्य कर अधिकारी के पद पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं है तो उससे इस आशय का सहमति पत्र प्राप्त कर लें कि **चयन वर्ष 2022-23 के लिये प्रस्तावित राज्य कर अधिकारी के पद हेतु डी0पी0सी0 में वह पदोन्नति का इच्छुक नहीं है तथा यदि उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ कार्मिक की राज्य कर अधिकारी के पद पदोन्नति कर दी जाती है तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में वह अपनी ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति दिये जाने के हकदार नहीं होंगे,** ताकि तदनुसार उसे डी0पी0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें चयन किये जाने अथवा उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ कार्मिक के चयन हेतु मामलें में चयन समिति के माध्यम से निर्णय कराया जा सके।

यदि उपरोक्त सम्बन्ध में कोई कार्मिक अपना सहमति पत्र प्रस्तुत करता है तो कृपया उसे प्रत्येक दशा में 28-07-2022 तक मुख्यालय को भिजवाये जाने का कष्ट करें।

भवदीया,

ह0/

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से कि उक्त पत्र को कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने का कष्ट करें।

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।